महत्वपूर्ण एवं खास

शादी का प्रलोभन देकर अनाचार, आरोपी गिरफ्तार

भानुप्रतापपुर-रायपुर (आरएनएस)। दिनांक 23.12.2024 को प्रार्थिया लिखित आवेदन पेश कर थाना नरहरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सूरजभान मंडावी बरेठीनबाहरा मुझे शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक सबंधं बनाया। प्रार्थिया कि रिपोर्ट पर थाना नरहरपुर में अपराध क्रं. 179/2024 धारा 69 पजीबध्द कर विवेचना में लिया गया उपरोक्त संबंध में श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आई. के. एलिसेला, श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक भानुप्रतापपुर संदीप पटेल (भा.पु.से.), श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय दिनेष सिन्हा के निर्देशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अविनाश ठाकुर के मार्गदर्शन में थाना नरहरपुर द्वारा तत्काल टीम गंठित कर 24 घण्टे के अंदर आरोपी सूरजभान मंडावी का पता तलाष कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेष किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी नरहरपुर निरीक्षक सुरेष राठौर, सायबर सेल प्रभारी निरीक्षक प्रेमप्रकाष अवधियां प्रधान आरक्षक मनीराम, सउनि लोमषमुनी बैरागी, म.प्र.आर. 685 योगिता साहु, आरक्षक दिलीप साहु, लीला साहु, द्वारा अथक मेहनत कर उल्लेखनीय योगदान दिया है।

आरक्षक भर्ती को प्रभावित करने वाली आरोपिया गिरफ्तार

राजनांदगांव-रायपुर (आरएनएस)। प्रार्थी के लिखित आवेदन पर से थाना लालबाग में आरक्षक भर्ती संवर्ग मे अभ्यार्थीयों को मशीन में छेडख़ानी कर अंक में लाभ दिलाने की बात पर से अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 568/24 धारा 318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। कायमी की सूचना वरिष्ठ अधिकारीयों को कराया गया। दौरान विवेचना के सीसीटीवी फुटेज, मोबाईल चैटिंग मेसेज एवं गवाहो के बयान पर से आरोपियो के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने पर पूर्व में 06 लोगों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था मामले में विवेचना के दौरान धारा 61(2),3(5) जोड़ी गई विवेचना के दौरान अभ्यर्थी मीना पात्रे से पुछताछ करने पर बताई कि दिनांक 14/12/24 को सुबह आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपनी परिचीत पुलिस स्टॉफ को अनुचित तरीके से इवेंट में आर्थिक लुभावना देने वाले अभ्यर्थी आरोपीया मीना पात्रे के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने से अभ्यर्थी आरोपीया मीना पात्रे पिता अलीराम उम्र 32 वर्ष निवासी कुशाल बांधा पंडरिया जिला कबीरधाम को आज दिनांक को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। मामले में विवेचना जारी है अन्य किसी के भी खिलाफ सबूत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी|

दुर्घटनाग्रस्त वाहन में फंसे चालक की पुलिस ने बचाई जान

लवन-रायपुर (आरएनएस)। दिनांक 23.12.2024 को रात्रि 09:00 बजे लगभग सूचना मिली कि ग्राम लाहोद के पास एक बलकर वाहन एक्सीडेंट होकर पलट गया है, जिसमें बलकर वाहन का चालक बहुत बुरी तरीके से अंदर फंस गया है। कि सूचना पर थाना लवन पुलिस एवं हाईवे पेट्रोलिंग का पुलिस बल तत्काल घटना स्थल पहुंचा। घटना स्थल पहुंचने पुलिस टीम ने देखा कि वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त वाहन के अंदर बहुत बुरी तरीके से फंस गया है, उसके लिए एक-एक पल बहुत ही कीमती था तथा किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उक्त वाहन चालक को तत्काल बाहर निकालना अत्यंत आवश्यकता था। कि इस बीच पुलिस टीम में शामिल प्रधान आरक्षक धनंजय यादव, अजय अंचल, आरक्षक प्रवीण यादव, मोहन राय, भूपेंद्र गुप्ता एवं हाईवे पेट्रोलिंग की टीम द्वारा अत्यंत सूझबूझ एवं साहस का परिचय देते हुए तत्परतापूर्वक बलकर वाहन अंदर फंसे वाहन चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया एवं तत्काल उसे एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया है। वर्तमान में वाहन चालक की स्थिति बेहतर है।

प्राकृतिक खूबसूरती समेटे मयाली की बनी अलग पहचान

जशपुरनगर | आरएनएस

ये वदियां ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें..... आज और कल फिल्म का यह मशहूर गाना ऐसा प्रतीत होता है किसी खूबसूरत जगह को निहारने के लिए लोगों को अवाज दे रही है। ऐसी ही प्राकृतिक खूबसूरती समेटे जशपुर की खूबसूरत वादियों की पुकारती आवाज अब राज्य सहित दुनिया में सुनाई दे रही है। सुरमयी वातावरण, प्राकृतिक छटा से घिरे जशपुर में प्रकृति की खूबसूरती दिखाते अनेकों पर्यटक स्थल है। इसी प्राकृतिक नैसर्गिक सुंदरता के लिए विख्यात मयाली में 22 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक ने इसे पुन: चर्चा के केंद्रबिंदु में ले आया। छत्तीसगढ़ प्रवास पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ नवा रायपुर के मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री साय और उनके परिवारजनों व अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ एक ग्रुप फोटो हुई। इस ग्रुप फोटो की खास बात यह थी कि इसके बैकड्रॉप में जशपुर का खूबसूरत मधेश्वर पहाड़ प्रदर्शित था। पूरी दुनिया में फैली यह फोटो ने लोगों को जशपुर की प्राकृतिक सुंदरता की ओर ध्यान खींचा है। मधेश्वर पहाड़ 'लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग' के रूप में गोल्डन बुक ऑफ वल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम

मुख्यमंत्री के प्रयासों से मधेश्वर पहाड़ को शिवलिंग की विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रतिकृति के रूप में मान्यता मिली है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। रिकॉर्ड बुक में 'लार्जेस्ट नेचुरल फैक्सिमिली ऑफ शिवलिंग' के रूप में मधेश्वर पहाड़ को दर्ज किया गया है। जशपुर की पर्यटन स्थलों की जानकारी के लिए पर्यटन वेबसाइट में जगह दी गई है। जशपुर इस पर्यटन वेबसाइट में शामिल होने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इस बेबसाइट के माध्यम से जशपुर की नैसर्गिक खूबसूरती की जानकारी पर्यटकों को आसानी से मिल सकेगी।

कुनकुरी ब्लॉक में स्थित मयाली जिला मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर दूरी पर है। जिला मुख्यालय से एनएच-43 सडक़मार्ग से जाते समय चरईडांड चौक पड़ता है। यहां से बगीचा की ओर जाते समय कुछ ही दूरी पर मयाली नेचर कैंप स्थित है। यहां से सामने दिखाई देती मधेश्वर महादेव पहाड़ को विश्व का प्राकृतिक तौर पर निर्मित विशालतम शिवलिंग की मान्यता मिली है। इस शिवलिंग पर लोगों की बड़ी आस्था है। यहाँ सैलानी दूर-दूर से आते हैं और प्रकृति से अपने आप को जोड़ते हैं। मधेश्वर पहाड़ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्वतारोहण और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी लोकप्रिय होता जा रहा है।

मयाली स्वदेश दर्शन योजना में शामिल, 10 करोड़ से होगा कायाकल्प

मयाली नेचर कैंप से एक ओर डैम की खूबसूरती तो दूसरी ओर विशालतम प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर पहाड़ का विहंगम दृश्य दिखाई पड़ता है। चारों ओर फैली हरियाली से इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। मयाली डेम में बोटिंग की भी सुविधा है। भारी संख्या में लोग यहां की खूबसूरती को निहारने के साथ ही बोटिंग का आनंद लेने के लिए भी आते हैं। यहां पर्यटकों के रात्री विश्राम की सुविधा के लिए रिसॉर्ट बनाएं गए हैं। नेचर कैंप में बटरफलाई पार्क के बाद यहां कैक्टस पार्क बनाने की योजना तैयार की गई है। मयाली नेचर कैंप को स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करने के साथ ही पर्यटन विभाग ने मयाली के विकास के लिए 10 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का केन्द्रीय टीम ने किया निरीक्षण

❒ जिले में चल रहा निक्षय निरामय 100 दिवसीय पहचान एवं उपचार कार्यक्रम

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं सीएमएचओ डॉ.बी.के चंद्रवंशी के मार्गदर्शन में 100 दिवसीय राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पहचान एवं उपचार 7 दिसंबर 2024 से 24 मार्च 2025 तक अभियान चलाया जा रहा है। जिसका आज केन्द्रीय टीम ने निरीक्षण किया।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत घर-घर जाकर संदेहास्पद मरीजों की खोज एवं उपचार किया जा रहा है। कार्यक्रम के गुणवत्ता हेतु भारत सरकार के केंद्रीय टीम के डॉ.विवेकानंद गिरी एवं डॉ.श्वेता साहू द्वारा जिले के कार्यक्रम का निरीक्षण किया गया। केंद्रीय टीम के द्वारा जिला कुष्ठ अधिकारी डॉ.कुलवेदी से कार्य की गुणवत्ता एवं कुष्ठ खोज हेतु अभियान की संपूर्ण कार्ययोजना पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जिले के माइक्रोप्लान, मितानिनों की सर्वेदल एवं सत्यापन केंद्र हेतु प्रभारी चिकित्सकों की निगरानी एवं डीएनटी टीम के सदस्यों की उपस्थिति में विकासखंड घरघोड़ा पहुँचकर निरीक्षण एवं स्वास्थ्य केंद्र पंजियों का स्टॉक, कुष्ठ स्टॉक रजिस्टर तथा दवाईयों की उपलब्धता के संबंध में जांच की गई।

डीएनटी टीम के सदस्यों एवं जिला कुष्ठ अधिकारी द्वारा सर्वे कर रहे मितानिन एवं मितानिन प्रशिक्षको सें घर-घर जाकर गृह भेंट के दौरान संदेहास्पद मरीजों का स्वयं के द्वारा परीक्षण करते हुए जांच किया गया तथा खंड चिकित्सा अधिकारी को कार्य संबंधी जांच प्रपत्र, प्रचार-प्रसार की सामग्रियों, नारा लेखन, पाम्पलेट पोस्टरो का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात घरघोड़ा विकासखंड के लैब टेक्निशियन से स्कीन स्टीमेयर जांच एवं लेब के अंतर्गत संधारण किये गये दस्तावेज की जानकारी ली गई। नियमित रूप से स्कीन स्टीमेयर की जांच हेतु लैब टेक्निशियन के कार्य सराहना की। डॉ.विवेकानंद गिरी एवं डॉ.श्वेता साहू के संयुक्त रूप से डीएनटी की टीम के सदस्य एमपी साहू, आरएस पटेल, दिनेश यादव से भी फिल्ड स्तर की रिपोर्ट एवं जानकारी ली गई।

जिला कुष्ठ अधिकारी डॉ.टी.जी. कुलवेदी ने बताया कि रायगढ़ जिले में वर्तमान में प्रसार दर 3.49 प्रति 10 हजार की जनसंख्या पर है एवं ग्रेड 2 डिसबिलिटी की संख्या नगण्य है। वर्तमान में शासन के निर्देशानुसार 1 मिलियन में 1 केस होना जरूरी है जिसके तहत रायगढ़ जिले में विगत वर्षो से राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत अच्छे कार्य करते हुए नियंत्रित किया गया है। जिससे रायगढ़ जिला अतिशीघ्र कुष्ठ मुक्त हो सकेगा।

नक्सलियों और कोबरा बटालियन के बीच मुठभेड़

सुकमा-रायपुर | आरएनएस

जिले में नक्सलियों और कोबरा बटालियन के बीच मुठभेड़ हुई हैं। जिसमें दो जवान घायल हो गए हैं। यह घटना चिंतलनार थाना क्षेत्र के जंगलों में हुई। बताया जा रहा है कि, कोबरा बटालियन की एक सर्चिंग टीम नक्सल प्रभावित इलाके में ऑपरेशन पर निकली थी, तभी अचानक नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने मोर्चा संभालते हुए नक्सलियों को करारा जवाब दिया, लेकिन इस दौरान दो जवान घायल हो गए। दोनों जवानों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। यह मुठभेड़ उस क्षेत्र में हुई है, जहां हाल ही में सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से कैंप स्थापित किया है। गोमगुड़ा, जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, वहां सुरक्षा बलों का दबदबा बढ़ाने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सोमवार की रात जवान अपने कैंप के बाहर आउटर कार्डन ड्यूटी पर तैनात थे, तभी नक्सलियों ने जंगल की ओर से बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी।

नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

कबीरधाम (आरएनएस)। जिले के लोहारा थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका के साथ घर में घूसकर छेड़छाड़ करने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शिकायत दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था जिसे ग्राम बिडोरा से गिरफ्तार किया गया।

मिली जानकारी के अनुसार थाना लोहारा क्षेत्रांतर्गत ग्राम की एक नाबालिग बालिका ने अपने माता-पिता के साथ थाने में आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें घर में घुसकर छेड़छाड़ करने की घटना का उल्लेख किया गया। रिपोर्ट के आधार पर थाना लोहारा में आरोपी के खिलाफ धारा 74, 75(2), 78(2), 331(3), 296, 351(3) बीएनएस और बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा पाक्सो एक्ट की धारा 8, 12 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं पंकज पटेल, तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कृष्ण कुमार चंद्राकर के निर्देशन में थाना प्रभारी लालमन साव द्वारा तत्काल एक विशेष टीम का गठन कर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया गया। पुलिस टीम ने फरार आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी और मुखबिर की सूचना पर ग्राम बिडोरा से आरोपी बिरेन्द्र कुमार उर्फ गोलू निर्मलकर पिता गजानंद, उम्र: 23 वर्ष, निवासी बिडोरा, थाना लोहारा, जिला कबीरधाम को गिरफ्तार किया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया गया।

घूसखोर पटवारी व कोटवार गिरफ्तार, ऋण पुस्तिका देने मांगी थी रिश्वत

दुर्ग | आरएनएस

दुर्ग जिले के पटवारी और कोटवार ने ऋ ण पुस्तिका देने के नाम पर ग्रामीण से 90 हजार रिश्वत मांगने वाले पटवारी और कोटवार को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी की खबर के बाद तहसील परिसर में अफरातफरी का माहौल निर्मित हो गया।

एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी प्रकाश चन्द्र देवांगन, ग्राम रानीतराई, तहसील पाटन, जिला-दुर्ग ने एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर में शिकायत की गई थी कि उनकी माता के नाम से ग्राम सुरपा, तहसील पाटन, जिला-दुर्ग में कृषि भूमि क्रय किया गया था। उक्त जमीन का प्रमाणीकरण कर ऋण पुस्तिका देने के लिए पटवारी चिन्मय अग्रवाल ने 90 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। लेकिन प्रकाश चंद्र रिश्वत देने की बजाय रिश्वतखोर पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था इसलिए उसने मोलभाव कर पटवारी से 70 हजार रूपये देने की सहमति दी और इसके बाद एसीबी को शिकायत की। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से प्रार्थी प्रकाश चन्द्र रिश्वत की पहली किश्त 20 हजार रूपये लेकर 24 दिसंकर को आरोपी चिन्मय अग्रवाल, पटवारी, सुरपा, तहसील पाटन, जिला-दुर्ग को देने के लिए पहुंचा और जैसे ही प्रकाश चन्द्र ने पटवारी को रश्वित दी वैसे ही एसीबी की टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया और रिश्वत की रकम 20 हजार जब्त किया। मामले में टीम ने पटवारी के सहयोगी कोटवार भूषण लाल, टेमरी, तहसील पाटन, जिला दुर्ग को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले में दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर नीलांचल बाल गृह में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

रायगढ़

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जितेन्द्र कुमार जैन, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष के मार्गदर्शन तथा अंकिता मुदलियार न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के नेतृत्व में नीलांचल बाल गृह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। रायगढ़ नीलांचल बाल गृह में निरूद्ध बालकों को उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के बारे में जानकारी दिया गया।

अंकिता मुदलियार न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के द्वारा नीलांचल बाल गृह में निरूद्ध बालकों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस से जुड़े पहलू पर चर्चा करते हुए बताया कि यह कानून उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं, धोखाधड़ी और शोषण से बचाने और उनके हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए लागू हुआ था। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में बताना और उनके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है, यह उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उक्त शिविर में पूजा शर्मा (असिस्टेंट) चीफ लीगल एड डिफेंस कौसिंल रायगढ़ के द्वारा निलांचल बाल गृह में निरूद्ध बालकों को बताया गया कि उपभोक्ता कोई भी उत्पाद चुन सकता है और उसे कीमत पर बातचीत करने का पूरा अधिकार है। एक उपभोक्ता उचित रूप से स्वस्थ पर्यावरण की मांग कर सकता है उपभोक्ता वस्तुत: कहीं से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुनवाई की मांग कर सकते हैं। आयोजित इस शिविर में नीलांचल बाल गृह रायगढ़ के अधीक्षक द्वारा कार्यक्रम का उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में शंकर निषाद, निलांचल बाल गृह के स्टॉप, एवं पैरालिगल वालिंटियर उपस्थित रहे।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक
आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।
उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।
मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।
पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।
अन्य बिन्दु
● संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
● पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
● संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
● संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
● संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।
पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

चोरी के शक में रात भर युवक की पिटाई कर हत्या, मामले में 13 ग्रामीण हुए गिरफ्तार

धमतरी | आरएनएस

धमतरी में चोरी का आरोप लगाकर युवक की बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या करने वाले 13 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपियों ने कुछ युवकों पर चोरी का आरोप लगाते हुए रात भर उनकी डंडे से पिटाई की थी तथा दूसरे दिन उपचार के दौरान एक युवक ही अस्पताल में मौत हो गई थी।

बता दें कि बिते 22,23 दिसम्बर की मध्य रात्रि सिरसिदा गांव में भीखम साहू के यहां चोरी करने आए हो कहकर कुछ ग्रामीण द्वारा हल्ला करने पर कार्तिक पटेल और मोन्टू साहू वहां से भाग गये और ओंकार साहू को पकड़ लिए। जिससे और कौन-कौन थे साथ में कहकर पूछने पर कार्तिक पटेल और मोन्टू साहू का नाम बताने पर उनको भी घर से बुलाये और कुछ देर बाद 10 से 12 ग्रामीण महिला एवं पुरुष इक_ा हो गये। जिसमें ग्राम सिरसिदा के भीखम साहू, नोहर साहू, बुधेश्वर साहू, प्रेम साहू, किशन साहू, बिरेन्द्र साहू, तोरण साहू, रामनाथ साहू, रमेशर साहू, धान बाई साहू, गीतांजली साहू, शशिकला साहू ने ग्रामीणों के साथ मिलकर धान चोरी की बात को लेकर प्रार्थी को एवं मुर्तजर कार्तिक पटेल, संजय साहू, देवेन्द्र साहू, ओंकार साहू,धनेश्वर निषाद को हाथ मुक्का एवं डण्डा से बीते 22 दिसंबर के मध्य रात्रि से 23 दिसंबर 2024 सात बजे तक मारपीट करने प्रार्थी व मुर्तजर के परिजन द्वारा मारपीट से सभी के हाथ पैर,पीठ शरीर में गंभीर चोट लगने तथा आरोपीगण के द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करायेंगे बोलकर प्रार्थी व मुर्तजर के परिजन को सुपुर्द करने मुर्तजर कार्तिक पटेल के हाथ, पैर, पीठ, शरीर में गंभीर चोट आने से ईलाज दौरान जिला अस्पताल धमतरी में 23 दिसंबर को मृत्यु होने कि लिखित शिकायत पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। वहीं विवेचना के दौरान प्रार्थी व मुर्तजर के कथन से प्रकरण के आरोपी डोमेश कुमार साहू पिता प्रेम कुमार साहू उम्र 18 वर्ष 02 माह का एवं अन्य आरोपी के द्वारा भी मारपीट करना पाये जाने से प्रकरण में उक्त आरोपी का नाम जोड़ी गई है। प्रकरण के आरोपी भीखम साहू, नोहर साहू, बुधेश्वर साहू, प्रेम साहू, किशन साहू के बयान से अपने अन्य साथी आरोपीगण एवं ग्रामीणो के साथ मिलकर अपराध करना स्वीकार करने पर अपराध में प्रयुक्त लकडी के डण्डे को जप्त किया गया है एवं प्रकरण में प्रार्थियों के कथन एवं गवाहों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध थाना कुरूद में धारा 103 (1), 296 (ख),115 (2), 351(2) 191(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध की गई है,एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

मामले में पुलिस ने (01) भीखम साहू पिता गैंदलाल साहू उम्र 41 वर्ष (02) नोहर राम साहू पिता गेंदलाल साहू उम्र 39 वर्ष (03) बुदेश्वर साहू पिता गैंदलाल साहू उम्र 29 वर्ष (04) प्रेम कुमार साहू पिता रतन लाल साहू उम्र 48 वर्ष (05) किशन साहू पिता रामाधार साहू, उम्र 22 वर्ष (06) बिरेन्द्र कुमार साहू पिता दाताराम साहू उम्र 34 वर्ष (07) तोरण लाल साहू पिता निर्मल साहू उम्र 43 वर्ष (08) रामनाथ साहू पिता स्व0 गणेश साहू उम्र 59 वर्ष,(09) रमेशर साहू पिता उमासिंग साहू उम्र 58 वर्ष (10) डोमेश कुमार साहू पिता प्रेम कुमार साहू उम्र 18 वर्ष 02 माह (11) गीतांजली साहू पति भीखम साहू उम्र 37 वर्ष (12) शशिकला साहू पति नोहर साहू उम्र 38 वर्ष तथा (13) भानमति साहू उर्फ भान बाई पति प्रेम कुमार साहू उम्र 43 वर्ष सभी साकिनान सिरसिदा थाना कुरूद जिला धमतरी को गिरफ्तार किया है।